



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यू, दिल्ली-110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

CBSE/ACAD/Dir/(Art & I)/ODIA/2013/

दिनांक: 29 मई, 2013

परिपत्र संख्या—Acad. 38/2013

के. मा. शि. बो. से संबद्ध
सभी विद्यालय के प्रमुख
(उड़िया भाषा की पेशकष कोड-013)

विषय: शैक्षणिक सत्र 2013-14 की बोर्ड परीक्षा 2014 से संबंधित कक्षा X के लिए उड़िया भाषा में
नवीन/संशोधित पाठ्यक्रम (013)-से संबंधित

प्रिय प्रधानाचार्य,

के. मा. शि. बो. अपने से संबद्ध सभी विद्यालयों में कक्षा IX से XII के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम/पुस्तक का अनुसरण करता है। हाल ही में, उड़ीसा राज्य शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2013-14 के कक्षा X के लिए उड़िया पाठ्यक्रम/पुस्तक को परिवर्तित/पुनर्संशोधित किया है।

राज्य बोर्ड द्वारा किए गए परिवर्तनों के आलोक में CBSE ने भी अकादमिक सत्र 2013-14 से कक्षा X के उड़िया पाठ्यक्रम/पुस्तक में परिवर्तन/पुनर्संशोधन किया है। कक्षा X के लिए उड़िया से जुड़े CBSE से संबद्ध सभी विद्यालयों के शिक्षकों को इसके माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि वे नवीन/पुनर्संशोधित/परिवर्तित पाठ्यक्रम/पुस्तक का ही अनुसरण शैक्षणिक सत्र 2013-14 से आगे करेंगे।

कक्षा X के उड़िया भाषा के पाठ्यक्रम को, जो कि CBSE माध्यमिक विद्यालय पाठ्यचर्या भाग-II 2014 (भाषा) में मुद्रित था, इस संलग्न पाठ्यक्रम के साथ परिवर्तित किया जा सकता है।

कृपया, ऊपर दी गई जानकारी को शीघ्र ही सभी परिवर्तित शिक्षकों तथा छात्रों तक प्रसारित करें।

भवदीया

साधना पाराशर

डॉ. साधना पाराशर

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.-110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग, जंगली घाट, पी.ओ.-744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085.
10. शिक्षा अधिकारी/सह-शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के.मा.शि.बो.
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के.मा.शि.बो.
13. अध्यक्ष, के.मा.शि.बो. के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के.मा.शि.बो. के डेस्क अधिकारी/निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के.मा.शि.बो., के निजी सहायक
20. के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार)